

दिनांक

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

खानराज 1/1 ट्यू बंग

11/2/25

पत्रावली पेश हुई। पार्सी अर्जी नं. 340
पत्रावली मुल बंद के साथ दिनांक 6/3/25
को पेश है

6/3/25

पत्रावली पेश हुई। पार्सी अर्जी- उप- अर्जी नं.
3 की जवाब प्रस्तुत करने हेतु निरंतर अवसर
दिए जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं किया गया है।
जवाब बंद किया जाता है। अर्जी नं. 1 व 2 का
फोरमल प्रसकार होने से जवाब बंद किया जाता है।
पत्रावली वास्तव में अर्जी नं. 1 व 2 की तलबी हेतु
दिनांक 17/3/25 को पेश है।

17/3/25

पत्रावली पेश हुई। पार्सी अर्जी- उप- अर्जी अर्जी- नं.
अर्जी नं. 1 व 2 के समान तलबाने निरंतर अवसर
दिए जाने के बावजूद भी पेश नहीं किये गये हैं।
पार्सी अर्जी अर्जी नं. 1 व 2 के समान तलबाने निरंतर
अवसर दिए जाने के बावजूद भी पेश नहीं किये जाने
से अर्जी नं. 1 व 2 अन्तर्गत धारा 212
शासमान कार्यकारी आदेशों के अन्तर्गत धारा 9
निषेध 5 वा. नीबानी के अन्तर्गत जारी किया जाता
है। पत्रावली में निषेध कर इतना सुनाया गया
पत्रावली फासल नुमांर होकर तालील हातर हो गया
खबर से कम है।

17/3/25
सहायक कलक्टर
मीलवाड़ा